प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करते है, वे निम्नांकित श्रेणियों में आते है :

(i) सरकारी कंपनियां,

(ii) सांविधिक निगम, तथा

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय–समय पर यथासंशोधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तों) अधिनियम,1971 की धारा 19–क के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

3. सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है।

4. मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो कि सांविधिक निगम है, इनके लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम तथा मध्य प्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन जो कि संवैधानिक निगम है, के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स के द्वारा की जाती है, और अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से अग्रेषित किये जाते है।

5. इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है, जो 2011–12 के वर्ष में की गई लेखा परीक्षा के दौरान ध्यान में आए और यह भी जो कि विगत वर्षो में ध्यान में आये थे परन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में समाविष्ट नही किया गया था। जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ 2011–12 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

6. लेखापरीक्षा, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंर्तराष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।